FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...मुकाम.......................................

....बनाम.......................................

किस्म मुकदमा..नं. ....सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
24/1/17	वकील अपीलार्थी व वकील रेस्पो. 1 से 7 तक वकील आवेदकगण प्राप्त नाम डिक्री होल्डर बहस सुनी। पत्रावली वास्ते निर्णय हुक्म के लिए दिनांक 23/1/17 को पेश (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
23/1/17	वकील अपीलार्थी व वकील रेस्पो. 1 से 7 तक दोनों वकीलगण व एक अन्य पक्ष की बहस पत्रावली वास्ते आदेश दि. 24/1/17 को पेश (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
24/1/17	कार्य की अधिकता के कारण निर्णय नहीं हो पाया अतः पत्रावली वास्ते निर्णय हुक्म के लिए दिनांक 31/1/17 को पेश (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

देवीशंकर बनाम गणेशलाल वगै0

संख्या : 17/202

.2018	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्ता उपस्थित । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का बेचान किया जा चुका है । प्रस्तुत अपील में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 एवं दूसरा प्रार्थना पत्र नाम डिलिट करने का प्रस्तुत किया है । वादग्रस्त आराजी का बेचान किया जा चुका है । दावा खारिज किया जा चुका है । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.02.2017 बहाल रखा जाता है । (पंकज कुमार ओझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा